

राज्यप्रदेश विधान सभा,

मार्च, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुजरात, दिनांक 27 मार्च, 1991 (चैत्र 6, 1913)
समय 10.30 बजे दिन

१. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे

२. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मर्लेश, राज्य मंत्री आवास एवं पर्यावरण, जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) एवं 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) एवं 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 पटल पर रखेंगे।

३. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानकर्षण

(1) सर्वश्री मोतीलाल वोरा / आरिफ़ अकील / राजेन्द्र प्रसाद शूक्रल, सदस्य, भोपाल नगर निगम के कर्मचारी नेता की हुई हत्या की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री चन्द्रशेखर साह, सदस्य, रायपुर जिले के देवभोग क्षेत्र में कीमती पत्थर की अवैध निकासी की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

४. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य -

(क) जिला रीवा विधान सभा क्षेत्र गुड़ के ग्राम मानिकवार के राजभानसिंह, स्मारक महाविद्यालय को शासनाधीन करने,

(ख) जोगिनहाई-कंचनपुर एपोच रोड की महाना नदी पर पुल निर्माण कराने,

(ग) ग्राम बरिगां में प्राथमिक पाठशाला खोले जाने, तथा

(घ) ग्राम बदवार में पेयजल हेतु टंकी का कार्य आरंभ कराने के संबंध में,

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य -

(क) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालौद के ग्राम बरही में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम पोणडी में महिला मंडल सांस्कृतिक भवन निर्माण कराने के संबंध में,

(3) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य - जिला छतरपुर, विकासखण्ड बड़ामलहरा के ग्राम सिमरिया की हरिजन बस्ती में पेयजल हेतु कुंआ निर्माण कराये जाने के संबंध में,

(4) श्री रामदयाल अहिरखार, सदस्य - जिला छतरपुर, विकासखण्ड राजनगर के ग्राम सेवाड़ी में विद्युत लाईन लगाये जाने के संबंध में,

(5) श्री नंदकुमार सिंह चौहान, सदस्य - प्रदेश में पृथक से होम्योपथिक संचालनालय की स्थापना कराने के संबंध में,

(6) चौधरी मणिशंकर "सुमन", सदस्य - जिला दमोह, विकासखण्ड बटियागढ़ के खड़ेरी-निवोराकलां अपूर्ण मार्ग को पूर्ण कराये जाने के संबंध में,

याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्वाचित समय

4 घंटे
शेष। घंटा
30 मिनिट

30 मिनिट

। घंटा

30 मिनिट

। घंटा

। घंटा

। घंटा

30 मिनिट

5. मंत्रि परिषद पर अविश्वास का प्रस्ताव

श्री श्यामाचरण शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष, द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण:-

"यह सदन श्री सुन्दरलाल पटवा के नेतृत्व में गठित मंत्रि-परिषद के प्रति अविश्वास प्रकट करता है।"

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (निरसन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में ओला वृष्टि, अतिवृष्टि, पाला एवं इलियों के भारी प्रकोप आदि से फसलों की क्षति होने के संबंध में सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, महेश तिवारी, जालम सिंह पटेल, उदय प्रकाश मिश्रा, डॉ. गोविन्द सिंह, कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, तिलक राज सिंह, रामबहादुर सिंह एवं भागचन्द्र सोगानी, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(2) प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा फैलते प्रदूषण के कारण जन जीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संबंध में श्री चन्द्रशेखर साहू, श्री पुष्पराज सिंह एवं श्री ललित जैन, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(3) प्रदेश में नकली व अवमानक दवाओं से बिक्री पर रोक एवं दण्ड का प्रावधान करने के संबंध में श्रीमती नेहा सिंह एवं श्री ललित जैन, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(4) प्रदेश में खाद्य सामग्री एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के संबंध में सर्वश्री जालम सिंह पटेल, रामनंद सिंह, एवं ललित जैन, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(5) प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

8. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

प्रदेश के खेल परिसरों के विकास की गति अवरुद्ध होने तथा केन्द्रीय सहायता का उपयोग न हो पाने के संबंध में श्रीमती जयश्री बनर्जी, सदस्या की सूचना।

9. नियम-52 के अधीन आव्वे घंटे की चर्चा

(1) दिनांक 20 मार्च, 1991 को गृह मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक -833) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री हुकुमचंद यादव, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(2) दिनांक 21 मार्च, 1991 को सहकारिता मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक -608) के उत्तर से उद्भूत विषय पर सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, चन्द्रशेखर साहू, महेश तिवारी सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(3) दिनांक 22 मार्च, 1990 को उद्योग मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 121) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामनंद सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

भोपाल
दिनांक 26 मार्च, 1991

विश्वेन्द्र गेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।